बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक :– वि॰प्रा॰ (II) य[1] – 8/2004– / पटना, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार, (ले॰ एवं ह॰) बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– वित्त विभाग*।

विषय:– C.W.J.C. No.-3335/2015, चन्देश्वर साह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 08.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि 28.01.2004 के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना में कार्यरत रहे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया वेतन अन्तर की राशि तथा स्तरोन्नयन की तिथि के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना से सेवानिवृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम एवं छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन/उपादान अन्तर राशि के भुगतानार्थ कुल रू॰ 7,18,13,000=00 (सात करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त स्वीकृत राशि पटना विश्वविद्यालय, पटना को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने पटना विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक– AC/पेंशन/1139, दिनांक 10.10.2015 के द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर C.W.J.C. No.-3335/2015, चन्देश्वर साह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 08.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि 28.01.2004 के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना में कार्यरत रहे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया वेतन अन्तर की राशि तथा स्तरोन्नयन की तिथि के पूर्व तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना से सेवानिवृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पंचम एवं छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन/उपादान अन्तर राशि के भुगतानार्थ कुल रू॰ 7,18,13,000=00 (सात करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त स्वीकृत राशि पटना विश्वविद्यालय, पटना को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के गैर योजना बजट के "मुख्य शीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 102–तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0001– पटना विश्वविद्यालय" (विपत्र कोड–N2203001020001) के अधीन 31 04 सहायक अनुदान–वेतन तथा 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के आलावा विषयशीर्षों में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से क्रमशः रू॰ 2,07,05,000=00 मात्र तथा रू॰ 5,11,08,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 7,18,13,000=00 (सात करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत अनुदानित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना द्वारा राज्य सरकार के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 05.01.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–07 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –

(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] – 8/2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] – 8/2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] – 8/2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 05.01.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या– 07 पर प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] – 8/2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राशि की निकासी कोषागार से किये जाने के निमित्त उक्त राशि की पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre-receipt Voucher), अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] – 8/2004– 414 /पटना, दिनांक– 8/2/16

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो0)/अवर सचिव/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में) /बजट सहायक/विधि कोषांग/ आई.टी. मैनेजर (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु),, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/16

सरकार के अपर सचिव